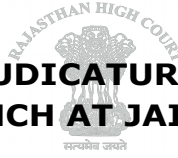




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3194/2026

Nitinpuri S/o Ramveer, Aged About 21 Years, R/o Baroda Mev, Police Station Baroda Mev District Alwar, Presently Resident Of As Tenant In Flat No. 621, Utsav Apartment, Police Station Pratap Nagar, Jaipur
(Presently Confined In Central Jail, Ghatgat, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Banwari Sharma, Adv. Mr. Namo Narayan Sharma, Adv. Mr. Abhishek Kaushik, Adv. Ms. Khushboo Rathore, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/02/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-जवाहर सर्किल, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-588/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 140(3), 309(6), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया है, अभियुक्त दिनांक 21.11.2025 से अभिरक्षा में है, अब अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में



समय लगेगा, समान रूप से अवस्थित शशिकांत की जमानत इसी न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, एक प्रकरण को छोड़कर कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी का अपहरण कर मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचाई तथा डेढ़ लाख रुपये जबरन छीन लिये व फिरौती की मांग की। अभियुक्त दिनांक 21.11.2025 से अभिरक्षा में है, अब अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, शेष विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **नितिनपुरी पुत्र रामवीर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J